समयबद्व/अति–आवश्यक/फैक्स

यातायात पुलिस निदेशालय, उ0प्र0, सी–231, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ

पत्र संख्या:डीटी–621–2007/1708 दिनांक: लखनऊ: जुलाई 08 ,2014

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद
उत्तर प्रदेश

विषय– प्रदेश के मार्गो पर भारी वाहनों में विशेषकर खनिजों की ओवर लोडिंग के प्रभावी विनियमन हेतु **माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर–2014 मे अभियान चालू** रखने के संबंध में ।

SL-90 कृपया इस निदेशालय के पत्र संख्याः डीटी–621–2007/1039 दिनांक 11–04–2014 व पत्र SL-118 संख्याः डीटी–621–2007/1659 दिनांक 01–07–2014 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित यात्री वाहन एवं निर्धारित भार क्षमता से अधिक भार लेकर संचालित होने वाले भार वाहनों तथा माल वाहनों की ओवरलोडिंग (Overloding) के विरूद्व **''प्रीवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट–1984''** में कराई गयी सम्यक समुचित विवेचना/कार्यवाही किये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा परिवहन विभाग के अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने एवं अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही की सूचना इस निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

2– उल्लेखनीय है कि ''प्रीवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट–1984'' के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा दर्ज कराये गये प्राथमिकी एवं इस सन्दर्भ में पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में दर्ज प्राथमिकियों पर की गयी कार्यवाही की समीक्षा हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों को सन्दर्भित पत्र दिनांक 01–07–2014 के साथ संलग्न कर भेजे गये प्रारूप में माह मई–2014 तक की सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। शासन द्वारा उक्त अभियान माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर–2014 में भी चालू रखे जाने की अपेक्षा की गयी है।

3– अतएव अनुरोध है कि **माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर–2014 में भी उक्त अभियान को चालू रखने का कष्ट करें तथा माह जुलाई–2014, अगस्त–2014 एवं सितम्बर–2014 में चलाये गये अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही की सूचना अगले माह की 06 तारीख तक इस निदेशालय के समांक पत्र दिनांक 01--07–2014 द्वारा भेजे गये निर्धारित प्रारूप में तैयार कराकर फैक्स के माध्यम से** यातायात निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश स्तर पर चलाये गये अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का संकलित विवरण/सूचना शासन को समय से उपलब्ध कराई जा सके।

8/7/14

(राजेश प्रताप सिंह)
अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक
यातायात, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

Letter-2014